भारत सरकार
कौशल विकास और उद्‌यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 206
उत्तर देने की तारीख 3 फरवरी, 2025
सोमवार, 14 माघ 1946 (शक)

कौशल आवश्यकताओं का आकलन और केन्द्रित प्रशिक्षण पहल

206. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा: डॉ. राजेश मिश्रा: श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री प्रदीप कुमार सिंह: श्री सुरेश कुमार कश्यप: श्री भर्तृहरि महताब:
श्री नव चरण माझी: श्री खगेन मुर्मु: श्री परषोत्तमभाई रुपाला:
श्री धर्मबीर सिंह: श्री बलभद्र माझी: डॉ. निशिकान्त दुबे:

क्या कौशल विकास और उद्‌यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार विभिन्न उद्‌योगों और क्षेत्रों में वर्तमान और भावी कौशल आवश्यकताओं का आकलन किस प्रकार करती है;

(ख) कौशल विकास पहलों को बदलते रोजगार बाजार और प्रौद्‌योगिकीय प्रगति के अनुरूप बनाने के लिए सरकार द्‌वारा कौन-सी योजना तैयार किए जाने का विचार है;

(ग) क्या मानकों और अपेक्षाओं में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षुओं और नियोक्ताओं से प्राप्त फीडबैक को शामिल करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) सीधी संसदीय क्षेत्र के अब तक कुल कितने लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कितने लोगों को रोजगार मिला है; और

(च) विगत पांच वर्षों के दौरान पालघर जिले में शुरू की गई कौशल विकास पहलों का ब्यौरा क्या है?

(उत्तर)

(क) और (ख): कौशल विकास एवं उद्‌यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन एस डी सी) ने 36 क्षेत्र कौशल परिषदें बनाई हैं, जो कि संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी उद्‌योगपतियों के नेतृत्व में कार्य करती हैं । इन क्षेत्र कौशल परिषदों को संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं को पहचानने के साथ साथ कौशल सक्षमता मानकों के निर्धारण का कार्य सौंपा

गया है । इसके अलावा, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित जिला कौशल समितियों (DSC) को जमीनी स्तर पर कौशल विकास और कार्यान्वयन के लिए विकेंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देने के लिए जिला कौशल विकास योजना (DSDP) तैयार करने का काम सौंपा गया है। DSDP रोजगार के अवसरों के साथ-साथ जिले में कौशल की संबंधित मांग वाले क्षेत्रों की पहचान करते हैं और कौशल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का मानचित्रण करते हैं। सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में पहचाने गए कौशल अंतराल को पाटने के लिए डिज़ाइन और कार्यान्वित किए जाते हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल वर्तमान उद्योग आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के अनुरूप हों, निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

(i) 2020 से, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) ने उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार 4387 नई योग्यताओं को मंजूरी दी है और 4419 योग्यताओं को संग्रहीत किया है जो प्रासंगिक नहीं हैं।

(ii) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में उद्योग के नेताओं के नेतृत्व में 36 सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल योग्यता मानकों को निर्धारित करने का अधिकार है। एनएसडीसी, बाजार आधारित कार्यक्रम के तहत, प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग की मांग के साथ कौशल पाठ्यक्रमों को सहयोग और संरेखित करते हैं।

(iii) डीजीटी फ्लेक्सी एमओयू योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य आईटीआई छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(iv) भारत सरकार ने कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में बारह देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)/सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि कौशल प्रयासों को वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके।

(v) पीएमकेवीवाई के तहत, नए युग/भविष्य के कौशल वाली नौकरी-भूमिकाओं को आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं के लिए एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि जैसे क्षेत्रों में उद्योग 4.0 आवश्यकताओं के साथ विशेष रूप से संरेखित किया गया है।

(vi) एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीटी) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेक्ट्रोनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सीटीएस के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में 29 नए युग/भविष्य के कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

(vii) डीजीटी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संबंध सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क, अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियां आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और पेशेवर कौशल प्रशिक्षण के प्रावधान की सुविधा प्रदान करती हैं।

(viii) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में अहमदाबाद और मुंबई में स्थापित भारतीय कौशल

संस्थान (आईआईएस) का उद्देश्य उद्योग 4.0 के लिए उद्योग-तैयार कार्यबल तैयार करना है, जो अत्याधुनिक तकनीक और व्यावहारिक प्रशिक्षण से लैस हो।

(ix) एमएसडीई के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने डिजिटल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, रेडहैट, पियर्सन वीयूई, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी), सिस्को नेटवर्किंग अकादमी जैसे कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी की है।

(ग) और (घ): कौशल प्रशिक्षण वितरण में सुधार के लिए, प्रशिक्षुओं की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित किया गया है। उदाहरण के लिए, पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षुओं की प्रतिक्रिया प्रयोगशाला की पर्याप्तता, प्रशिक्षक से संतुष्टि, मूल्यांकनकर्ताओं की निष्पक्षता, स्थानीय भाषा में मूल्यांकन, दूसरों को प्रशिक्षण की सिफारिश आदि जैसे मापदंडों पर मांगी जाती है। संबंधित क्षेत्रों में उद्योग के नेताओं के नेतृत्व में 36 सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी) को संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल योग्यता मानकों को निर्धारित करने का अधिकार है। एसएससी सहित पुरस्कार देने वाली संस्थाओं द्वारा विकसित नए पाठ्यक्रम/योग्यताएं उद्योग के खिलाड़ियों द्वारा मान्य की जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उद्योग के खिलाड़ियों के मानकों और आवश्यकताओं से मेल खाते हैं।

(ड.) और (च): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः कौशल और अप-कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

सीधी संसदीय क्षेत्र (सीधी, सिंगरौली और शहडोल जिलों को शामिल करते हुए) में एमएसडीई की योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

पीएमकेवीवाई (शुरुआत से **31** दिसंबर, **2024** तक)	जेएसएस **(2018-19** से **26** जनवरी **2025** तक)	एनएपीएस* **(2018-19** से **31** दिसंबर, **2024** तक)	सीटीएस (सत्र **2019** से सत्र **2023** तक)
36,225	11640	4,021	10,644

*प्रशिक्षु नियोजित

एमएसडीई की योजनाओं में, पहले तीन संस्करणों में पीएमकेवीवाई के शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग घटक के तहत प्लेसमेंट को ट्रैक किया गया था, जो कि पीएमवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 है, जिसे वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू किया गया है।

पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध करियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख किया जाता है। महाराष्ट्र के पालगढ़ जिले में कोई जेजेएस कार्यरत नहीं है। हालांकि, पिछले पांच वर्षों के दौरान एमएसडीई की योजनाओं के तहत महाराष्ट्र के पालघर जिले में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

पीएमकेवीवाई (वित्तीय वर्ष **2019-20** से वित्तीय वर्ष **2023-24)**	एनएपीएस* (वित्त वर्ष **2019-20** से वित्त वर्ष **2023-24)**	सीटीएस (सत्र **2019** से सत्र **2023** तक)
3,111	6,294	9,525

* प्रशिक्षु नियोजित

****